



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2011/आषाढ़ 21, 1933

No. 1336]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2011/ASADHA 21, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

का.आ. 1605(अ).—विशेष अर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप-धारा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की दिनांक 27 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 573(अ) में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में सीरियल नम्बर 5 और 6 में उल्लिखित सदस्य का नाम पढ़ा जाए :

5. श्री आर. के. शंकर, एमडी, मरकरी मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
6. श्री के. शिवाचन्द्र रेड्डी, मुख्य प्रबन्धक, विजय गारमैन्ट्स लिमिटेड।

[फा. सं. ए. 20/1/2006-एसईजेड]

अनुप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2011

S.O. 1605(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of Section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby makes the following amendment in the notification of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 573(E), dated 27th February, 2009, namely :—

In the said notification, the entries at Sl. Nos. 5 and 6 shall be substituted as under :

5. Sh. R. K. Shankar, M.D. Mercury Manufacturing Co. Ltd.
6. Sh. K. Shivachandra Reddy, Chief Executive, Vijay Garments Ltd.

[F. No. A. 20/1/2006-SEZ]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.